

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 791/ल0सि0/बजट-पी0एम0के0एस0वाई0/SCP-tsp/2016-17, दिनांक : 16 जून, 2017

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-83 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-Other Interventions (SCP Category) के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0 83 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-Other Interventions (SCP Category) के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु0 1677.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र सं0 19-7/2016-आर0एफ0एस0-3 दिनांक 25.04.2017 से गत वर्ष की अपर्युक्त धनराशि को पुनर्विद्य किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश सं0 4023/62-2-2017-2/3(29)/2017 दिनांक 13.06.2017 से अवमुक्त धनराशि रु0 02,92,61,000.00 (रूपया दो करोड़ बानबे लाख इकसठ हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-Other Interventions (SCP Category) के निर्धारित कम्पोनेन्ट पर ही व्यय किया जायेगा अन्य किसी मद/योजना में इसका व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
2. प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1668/62-2-2016 दिनांक 04.07.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा। आवंटित धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएगा।
4. आवंटित धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जायें और व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जायें। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाये। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाये अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में बुकिंग में बाधा होगी। आवंटित धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता(ल0सि0) को दी जायेगी।






6. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किशतों में किया जायेगा। सी०सी०एल० प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
7. आवंटित धनराशि को योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ एवं वर्तमान में निर्माणाधीन कुल 42 तालाब पर ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि से नये तालाबों पर कार्य नहीं किया जायेगा।
8. आवंटित की जाने वाली धनराशि के आहरण/व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
10. आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय का विवरण निर्धारित रूप पत्र पर नीचे अंकित तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. मासिक व्यय विवरण | आगामी माह की 05 तारीख तक |
| 2. व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण | 15.12.2017 तक |
| 3. वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण(पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो। | 15.02.2018 तक |
| 4. आवंटन का समर्पण | 15.03.2018 तक |
- नोट-दिनांक 15.3.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 के अधीन लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0201-पर झाप मोर क्राप (के०६०/रा०४०-के.रा.)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।




(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल०सि०)
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 794 /ल०सि०/पी०एम०के०एस०वाई०/SCP-tsp 2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.06.2017 के कम में।
2. स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता,(कार्यक्रम/अनुश्रवण) मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को तीन प्रतियों में।



(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल०सि०)
उत्तर प्रदेश।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 के अधीन लेखा शीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-0201-पर ड्राप मोर क्राप (के०६०/रा०४०-के+ रा)-24-वृहत्त निर्माण कार्य-में आवंटित धनराशि का विवरण।

(लाख रु० में)

कं० सं०	जनपद	अवमुक्त धनराशि	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	मेरठ	11.74	11.74
2	बुलन्दशहर	23.23	23.23
3	सहारनपुर	7.48	7.48
4	फिरोजाबाद	6.75	6.75
5	हाथरस	12.72	12.72
6	एटा	6.06	6.06
7	कासगंज	9.35	9.35
8	रामपुर	6.16	6.16
9	फतेहपुर	5.73	5.73
10	प्रतापगढ़	23.68	23.68
11	गाजीपुर	68.23	68.23
12	सोनभद्र	45.43	45.43
13	आजमगढ़	0.00	0.00
14	बलिया	26.91	26.91
15	हमीरपुर	10.96	10.96
16	महोबा	15.40	15.40
17	बाँदा	12.78	12.78
	योग:-	292.61	292.61

(रु० दो करोड़ बानबे लाख इकसठ हजार मात्र)

(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता(ल०सि०)
उत्तर प्रदेश।